ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಖ್ಯೆ. ಆಪಸಂ/ಡಿಎಡಿ-5/ಏವ/ಪ್ರಾಕಸ/2009-10

ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ.
ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿ: /7-08-2009.

ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ : ದಿನಾಂಕ:24-08-2009 ರಿಂದ 03-09-2009ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಜೈನರ ಹಬ್ಬ "ಪರ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ದಸ್ ಲಕ್ಷಣ್ ಪರ್ವ್" ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಬಗ್ಗೆ ಮನವಿ.

ಉಲ್ಲೇಖ 1 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರಸಂಖ್ಯೆ ಪಸಂಮೀ/92/ಸಲೆವಿ:2009 ದಿನಾಂಕ 27-07-2009.

2 ಗೋವಂಶ ಹತ್ಯೆ ಮುಕ್ತ-ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ರವರು ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪತ್ರದ ದಿನಾಂಕ:13-08-2009.

******

ವಧಾಗಾರಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೃಹತ್ ಮಹಾ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇವುಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಜೈನರ ಹಬ್ಬ "ಪರ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ದಸ್ ಲಕ್ಷಣ್ ಪರ್ವ್" ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಧಾಗೃಹಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯವರಿಂದ ಹೊರಡಿಸಲು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,
ಸಹಿ/-
ಆಯುಕ್ತರು.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:-
1. ವಿಶ್ವ ಜೈನ ಸಂಘಟನ್. 9/1976 4ನೇ ಲೇನ್. ಕೈಲಾಶ್ ನಗರ. ದೆಹಲಿ-110031 ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. ಗೋವಂಶ ಹತ್ಯೆ ಮುಕ್ತ-ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ(ಫೆಡರೇಷನ್). ನಂ:19. ವಲ್ಲಭನಿಕೇತನ, ವಿಶ್ವ ನೀಡಂ. ಗಾಂಧಿ ಭವನ ಪಕ್ಕ. ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕ್ ಪೂರ್ವ. ಶಿವಾನಂದ ಸ್ಟೋರ್ ಬೆಂಗಳೂರು-01.

ಆಯುಕ್ತರು.

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक प.24 (ग) (13)/ नियम/डीएलबी/09/पार्ट–II 647-735 दिनांक 28-7

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,

समस्त नगर निगम/परिषद/पालिका।

विषय :- पशु वधगृह बन्द करने के क्रम में।

प्रसंग :– पूर्व विभागीय समसंख्यक पत्रांक 438–637 दिनांक 22.07.09

....

पूर्व विभागीय समसंख्यक पत्रांक 438–637 दिनांक 22.07.09 द्वारा जैन धर्म के प्रर्यूषण पर्व पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार दिनांक 17 अगस्त, 2009 से 24 अगस्त, 2009 तक राज्य की सभी बूचड़खाने, मांस–मछली की दुकानें बन्द रखी जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये थे। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 17 अगस्त, 2009 से 04 सितम्बर, 2009 तक राज्य की सभी बूचड़खाने, मांस–मछली की दुकानें बन्द रखी जावे।

उप शासन सचिव

क्रमांक प.24 (ग) (13)/ नियम/डीएलबी/09/पार्ट–II दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, राजस्थान।
4. अतिरिक्त आयुक्त, उदयपुर एवं अतिरिक्त आयुक्त/आबकारी विभाग जयपुर को माननीय मुख्य मंत्री से प्राप्त अभ्यावेदन की प्रति भेजकर लेख है कि अभ्यावेदन में पर्यूषण पर्व पर शराब की दुकानें बन्द रखने की अपेक्षा की है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का श्रम करें।
5. जनसम्पर्क अधिकारी निदेशालय।
6. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
7. सुरक्षित पत्रावली।

सहायक विधि परामर्शी

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय,
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक 2112/4189/ 18/2006 रायपुर, दिनांक 12/03/2009

प्रति

समस्त कलेक्टर,
जिला ....
छत्तीसगढ़

समस्त आयुक्त
नगर पालिक निगम,
.......................छ.ग.

समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत,
........................जिला.......................

विषय :- विशिष्ट अवसरों पर पशुवध गृह बंद रखने बाबत्।

संदर्भ :- इस विभाग का परिपत्र क्रं. 434/स/पर्या.न.वि./02, दिनांक 07.09.2002 एवं पत्र क्रमांक 7339, दिनांक 13.12.2007

---0---

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रका अवलोकन करें। जिसके द्वारा विशिष्ट अवसरों पर पशुवध एवं मांस विक्रय की दुकाने बंद रखने के आदेश दिये गये थे। राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अवसरों के अतिरिक्त जैन समुदाय पर्व के अवसर पर भाद्रबदी द्वादस से भाद्र सुदी चतुर्थी तक 8 दिवस पशुवध गृह एवं मांस बिक्री की दुकाने बंद रखी जावे। कृपया शासन आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

(गेबनुस खलखो)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक प.24(ग)(13)/नियम/डीएलबी/89/पार्ट-II/10011-10200 दिनांक : 5-8-09

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
समस्त नगर निगम/परिषद/पालिकाऐं।

विषय : पशु-वधगृह बन्द करने के क्रम में :
प्रसंग : पूर्व विभागीय समसंख्यक पत्रांक 436-637 दिनांक 22.07.09
एवं 647-735 दिनांक 28.07.09

पूर्व विभागीय समसंख्यक पत्रांक 647-735 दिनांक 28.07.09 द्वारा जैन धर्म के पर्युषण पर्व पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार दिनांक 17 अगस्त 2009 से 04 सितम्बर 2009 तक राज्य के सभी बूचडखाने, मांस मछली की दुकानें बन्द रखी जाने के निर्देश प्रदान किये थे। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 19, 21, 22, 23, 24, 27, 29 अगस्त, 2009 तथा 3 एवं 5 सितम्बर, 2009 (कुल 9 दिवस) को राज्य के सभी नगरीय निकायों में बूचडखाने, मांस-मछली की दुकानें बन्द रखे जावें।

निदेशक

क्रमांक प.24(ग)(13)/नियम/डीएलबी/89/पार्ट-II/10200-10205 दिनांक : 5-8-09

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान।
02. निजी सचिव, मा0 मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
04. अतिरिक्त आयुक्त, उदयपुर एवं अतिरिक्त आयुक्त/आबकारी विभाग जयपुर को मा0 मुख्यमंत्री महोदय से प्राप्त अभ्यावेदन की प्रति भजकर लेख है कि अभ्यावेदन में पर्युषण पर्व पर शराब की दुकाने बन्द रखने की अपेक्षा है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का श्रम करें
05. [illegible] अधिकारी, निदेशालय।
06. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त।
07. सुरक्षित पत्रावली।

सहायक विधि परामर्शी

छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर

(258)

क्रमांक : 9446 / 7606 / 18 / 2012 रायपुर, दिनांक / 8 / 09 / 2012

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
जिला————
छत्तीसगढ़।

2. समस्त आयुक्त,
नगर पालिक निगम,
........................(छ.ग.)

3. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद् / नगर पंचायत
————————(छ.ग.)

विषय :— विशिष्ट अवसरों पर पशुवध गृह बंद रखने बाबत्।

—00—

इस विभाग का परिपत्र क्रमांक 4124 / 4189 / 18 / 2006 दिनांक 12.08.2009 की छायाप्रति संलग्न करते हुए आदेशानुसार लेख है कि विशिष्ट अवसरों पर पशुवध एवं मांस विक्रय की दुकानें बंद रखने के आदेश दिये गए थे, उक्त अवसरों के अतिरिक्त जैन पर्यूषण पर्व के अवसर पर भी पशुवध गृह एवं मांस विक्रय की दुकानें बंद रखने के संबंध में शासन आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

(एल. डी. चोपड़े)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

निरंतर.......

D:\Verma letter\Verma.doc

जारी - 14-08-2015

छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 9–4/2007/18 नया रायपुर, दिनांक 14/08/2015

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
   जिला .... (छ.ग.)
2. समस्त आयुक्त
   नगर पालिक निगम,
   .... (छ.ग.)
3. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
   नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत,
   .... (छ.ग.)

विषय :– विशिष्ट अवसरों पर पशुवध गृह बंद रखने बाबत्।

संदर्भ :– विभाग के परिपत्र क्र. 4124/4189/18/2006, दिनांक 12.08.2009 एवं परिपत्र क्रमांक 9446/7606/18/2012 दिनांक 18.09.2012 एवं परिपत्र क्रमांक 6225/7606/18/2012 दिनांक 11.09.13.

––00––

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें जिनके द्वारा विशिष्ट अवसरों पर पशुवध गृह एवं मांस विक्रय की दुकानें बंद रखने के आदेश जारी किये गये हैं। शासन के ध्यान में लाया गया है कि उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि विशिष्ट अवसरों के अतिरिक्त जैन पर्यूषण पर्व के अवसर पर भी पशुवध गृह एवं मांस विक्रय की दुकानें बंद रखने के संबंध में शासन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

14/8/15

निरं0 07726/22.0015

पृ.क्र. एफ 9–4 / 2007 / 18 नया रायपुर, दिनांक 14 / 08 / 2015

<u>प्रतिलिपि</u> :–

01. निज सहायक, मान. मुख्यमंत्रीजी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
02. [illegible] मुख्य सचिव, कार्यालय छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
03. निज सहायक मान. मंत्रीजी, छ.ग. शासन, न.प्र. एवं वि.वि., मंत्रालय, नया रायपुर।
04. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय, छ.ग, नया रायपुर।
05. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर / दुर्ग / बिलासपुर / अंबिकापुर / जगदलपुर।
06. श्री अजय जैन, अध्यक्ष श्री सुधर्म जैन नवयुवक मंडल, 208, पटवा काम्पलेक्स, एम.जी. रोड, रायपुर।
07. प्रोग्रामर, डाटा सेन्टर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

08. गार्ड फाईल हेतु।

(हस्ताक्षर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

...देनाथ दिगम्बर जैन समिति

...र-10, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर योजना, जयपुर-320 020

...रेश पाण्ड्या
अध्यक्ष
...2780846

सुरेश कुमार भौंच
मंत्री
94140-42055

दीप चन...
वरिष्ठ...

सुनील...

भूपेन्द्र...

दिनांक 28/7/09

माननीय श्री शान्ती धारीवाल जी
गृह मंत्री राजस्थान सरकार
जयपुर।

विषय : पर्यूषण पर्व के दौरान पशु वध-गृह बन्द करने के क्रम में।

महोदय,

राजस्थान का समस्त जैन समाज आपका ऋणी है कि निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 22 जुलाई 2009 के द्वारा दिनांक 17 अगस्त 2009 से 24 अगस्त 2009 तक राज्य के सभी बूचड़खाने, मांस-मछली की दुकानें बन्द करने का आदेश आपके निर्देश पर जारी कर दिया है।

परन्तु उक्त आदेश में एक कमी रह गई है श्वेताम्बर जैन समाज का पर्यूषण पर्व तो 17 अगस्त से 24 अगस्त 2009 है जो उपरोक्त आदेश से कवर हो रहा है परन्तु दिगम्बर जैन समाज का पर्यूषण पर्व 24 अगस्त से 04 सितम्बर 2009 तक है जिसके लिये आदेश जारी नहीं किया गया है।

अतः आपसे निवेदन है कि दिगम्बर जैन समाज के पर्यूषण पर्व 24 अहगस्त 2009 से 04 सितम्बर 2009 तक भी सभी बूचड़ख्याने, मांस-मछली की दुकानें बन्द रखने के आदेश जारी करावें अथवा उपरोक्त आदेश में ही संशोधन जारी करवाते हुये 17 अगस्त से 04 सितम्बर 2009 तक राज्य के सभी बूचड़खानों को बन्द करने के आदेश जारी कर समस्त जैन समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए संशोधित आदेश जारी करवाने का कष्ट करें।

आपका यह प्रयास लाखों जीवों की प्राण रक्षा करने में सहायक होगा जिसका पुण्यलाभ आपको निश्चित रूप से आपको भी प्राप्त होगा।

जय जिनेन्द्र,

भवदीय,
28/7/09
(सुरेश चन्द भौंच)
मंत्री

Scanned with CamScanner

पर्युषण पर्वों में पूरे हरियाणा में पशु वध शालाएं (कत्लखाने) बन्द करने वाले सरकार के आदेश की कॉपी

प्रेषक

निदेशक
शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा, पंचकूला।

सेवा में

1. आयुक्त, सभी नगर निगम
2. सभी उपायुक्त, हरियाणा राज्य
3. कार्यकारी अधिकारी/सचिव
सभी नगर/नरिषदें/नगर पालिकाएं, हरियाणा राज्य।

यादी क्रमांक टी. ए.-1/डी.यू.एल.बी./2014/32147-246
दिनांक 7-7-14

विषय :- जैन पर्युषण पर्व 23.08.2014 से 31.08.2014 (9 दिन) तक कत्लखाने बन्द करवाने बारे।

उपरोक्त विषय पर प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पत्र यादी क्रमांक 14/69/2010-4C-I दिनांक 10.09.2010, जो आपको सम्बोधित है, के सन्दर्भ में।

इस सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि इस वर्ष 2014 के दौरान दिनांक 23.08.2014 से 31.08.2014 (9 दिनों) तक जैन समाज उत्सव आयोजित होगा। अत: आपसे अनुरोध है कि सरकार की हिदायतों के दृष्टिकोण में उक्त उत्सव के दौरान स्लाटर हाऊस बन्द रखने तथा इस अवधि में किसी भी प्रकार के पशुओं को काटे जाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रखने के लिए सम्बन्धितों को इस बारे में आवश्यक निर्देश जारी करवाने का कष्ट करें।

7/7/2014

कार्यकारी अभियन्ता-II
कृते : निदेशक शहरी स्थानीय निकाय
हरियाणा, पंचकूला।

दिनांक 7-7-14

क्रमांक टी. ए.-1/डी.यू.एल.बी./2014/32247

इसकी एक प्रति श्री राधेश्याम जैन, मकान नं. 3698, सैक्टर 46-सी चण्डीगढ़ को उनके पत्र दिनांक 11.06.2014 के सन्दर्भ में सूचनार्थ भेजी जाती है।

7/7/2014

कार्यकारी अभियन्ता-II
कृते : निदेशक शहरी स्थानीय निकाय
हरियाणा, पंचकूला।

Scanned with CamScanner